

परियोजना का नाम :- मसूरी सीवरेज योजना

योजना का वैध प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मसूरी सीवरेज योजना G.O. No. India vide letter no. 59(3) PF-1/2008-587 dated 18.03.2009 और उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या भा.स. 77/ श0वि0 -09 -22 (एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 26 मार्च 2009 का कार्य गतिमान है एवं योजना की स्वीकृति आतिथि तक वैध है।


अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)